न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
01/2023	अपील 75 LRA	16.02.2023	03.10.2023

कौशल्या देवी पत्नी श्री बिहारीलाल जाति माली निवासीनी सेकसरिया कुआ के पास, पुराना वार्ड सं. 30, वर्तमान वार्ड संख्या 41, चूरू तहसील व जिला चूरू ।

–अपीलाण्ट–

बनाम

ग्राम पंचायत खासोली, तहसील व जिला चूरू (राज.) जरिये सरपंच

–रेस्पोडेण्ट–

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 05.01.2024
इन्तकाल संख्या 2193 ग्राम पंचायत खांसोली

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी अपीलाण्ट
2. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से पेश अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलाण्ट की खरीद शुदा कृषि भूमि में नामान्तरण संख्या 2193 दिनांक 13.12.2022 रोही मौजा खांसोली व खसरा नम्बर 124 तादादी 3.7813 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 0.7705 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 126 तादादी 1.3784 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 6.9302 हैक्टेयर वाके रोही खासोली तहसील व जिला चूरू में स्थित है।अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 18.11.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजीयक चूरू सें पंजीकृत है। जो कि भीखाराम पुत्र दीपाराम जाति माली निवासी चूरू से खरीदी गई 1/50 हिस्सा की कृषि भूमि का इन्तकाल दर्ज करवा ने के लिए पंचायत खासोली की बैठक दिनांक 20.12.2022 को पेश हुआ मगर दिनांक 05.01.2023 को पंचायत द्वारा नामान्तरण कर अस्वीकृत कर दिया गया जो कि न्यायसंगत नहीं होने से विधि विरूद्ध है। इस अपील के साथ इंतकाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है।

अपील की मद संख्या 01 में दर्ज कृषि भूमि अपीलाण्ट द्वारा खरीदशुदा है हो कि पंचायत खांसोली में इन्तकाल दर्ज करने के लिए पंचायती टीम की बैठक बुलाई गई मगर अपीलाण्ट के के दस्तावेज का किसी प्रकार अवलोकन नहीं किया गया न ही दस्तावेजात देखे गये केवल मात्र राजनैतिक कारणों के चलते उक्त अपीलाण्ट की कृषि भूमि के इन्तकाल को खारिज कर दिया गया जो कि सही नहीं जिसकी अपील श्रीमान् जी के समक्ष में पेश की जा रही है।

रेस्पोडेण्ट ने गलत रूप से नियम विरूद्ध व बिना मौका देखे नामान्तरण खारिज किया है। उक्त आदेश व निर्णय निरस्त किये जाकर अपास्त व निरस्त किये जाने काबिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:30 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि खातेदार को कृषि भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार हासिल है और उक्त कृषि भूमि विक्रय पत्र द्वारा अपीलाण्ट ने खरीद की है। जिस कारण उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट के विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता ने कब्जा संभला दिया था जिस कारण अपीलण्ट उक्त कृषि भुमि की खातेदार बन चुकी है।

हल्का पटवारी खासोली ने यह भी रिपोर्ट की है उक्त इंतकाल दर्ज पंचायत बैठक में रख दी मगर राजनैतिक द्वेष के चलते उक्त इंतकाल अपीलाण्ट का दिनांक 05.01.2023 को खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील श्रीमान् जी के न्यायालय में पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद है।

अपीलगत निर्णय व आदेश ग्राम पंचायत खांसाली के द्वारा दिनांक 05.01.2023 पारित किया है जिसकी अपील सुनने का श्रीमान् जी को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त हैं।

ग्राम पंचायत खांसाली द्वारा उक्त नामान्तरण गलत रूप से खारिज कर दिया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 23.01.2023 को जमाबंदी निकलवाने से हुई। हल्का पटवारी से 24.01.2023 को सम्पर्क किया गया और इन्ताकल की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाई गई। अपील अन्दर मियाद पेश है।

अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट अपील स्वीकार कर ग्रमा पंचायत खासोली के आदेश निर्णय तारीख पेशी नामान्तरण संख्या 2193 दिनांक 05.01.2023 निरस्त व अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार चूरू से नामान्तरण रजिस्टर की प्रति मंगवाई गई। अपीलाण्ट सं. 1 विधिवत तामिल के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेण्ट्स सं. 01 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट की ओर से पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की प्रति पेश की गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने बिना किसी कारण के नामान्तरण खारिज किया है अतः ग्राम पंचायत का आदेश अपास्त किया जावे।

बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्व अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत खासोली के पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण रजिस्टर जिसमें अंकित किया है कि क्र. 09 पर इंतकाल सं. 2193 में व्यक्ति के बारे में पर्याप्त एवं सही जानकरी नहीं होने अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, पेश दस्ता[illegible]त [illegible] विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवल[illegible] अपीलार्थी द्वारा पेश अपील ग्राम खासोली के नामान्तरकरण सं. [illegible] खासोली द्वारा दिनांक 05.01.2023 को खारिज किया गया था, के विरूद्ध पेश की गई है [illegible]म पंचायत की ओर से नामान्तरण यह कहते हुए खारिज किया गया कि क्रम सं. 9 इन्तकाल संख्या 2193 व्यक्तियों के बारे पर्याप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:30 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी नहीं है इस प्रकार ग्राम पंचायत ने बिना जांच पड़ताल के फौरी तौर पर नामान्तरण को अस्वीकार किया है जो नामान्तरण अस्वीकार किये जाने का उचित कारण प्रतीत नहीं होता है अतः ग्राम पंचयात खासोली के आदेश नामान्तरण संख्या 2193 अपास्त करने योग्य है तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2193 रोही ग्राम खासोली तहसील व जिला चूरू में ग्राम पंचायत, खांसोली द्वारा दिनांक 05.01.2023 को पारित खारिजी आदेश को अपास्त किया जाकर तहसीलदार चूरू को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 124 तादादी 3.7813 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 0.7705 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 126 तादादी 1.3784 हैक्टेयर कुल किता 03 क ुल तादादी 6.9302 हैक्टेयर वाके रोही खांसोली तहसील व जिला चूरू जो अपीलाण्ट कौशल्या द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2022 के खरीद किया गया है की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक करावें।

आदेश आज दिनांक 03.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/10/2023
03/10/2023

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:30 IST
Reason: SelfAttested